

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी

:- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या

:- 26/2023

शीर्षक

1. सरोज देवी पत्नी राजेन्द्र गुर्जर, जाति गुर्जर निवासी छापुडाकलां तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)

वादीया

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र जयसिंह
2. ओपेन्द्र सिंह पुत्र मुंशी सिंह
3. ओमी सिंह पुत्र मुंशी सिंह
4. छगनसिंह पुत्र हरनाथसिंह
5. जसवन्तसिंह पुत्र भंवरसिंह
6. धनसिंह पुत्र जयसिंह
7. धर्मपालसिंह पुत्र जयसिंह
8. नीमा कंवर पुत्री मुंशी सिंह
9. जबरंगसिंह पुत्र जयसिंह
10. मदन कंवर पुत्री सुल्तानसिंह
11. मदनसिंह पुत्र गोकूलसिंह
12. मुंशीसिंह पुत्र उमरावसिंह
13. मानसिंह पुत्र उमरावसिंह
14. रघुवीरसिंह पुत्र जयसिंह
15. रामसिंह पुत्र जयसिंह
16. श्रेय कंवर पत्नी मुंशी सिंह
17. मजना पत्नी जयसिंह
18. सुभांगकंवर पत्नी स्व. हनुमानसिंह
19. सम्पतसिंह पुत्र हनुमानसिंह
20. सुरेश कंवर पुत्री मुंशी सिंह
21. कान्ताकंवर पुत्री हनुमानसिंह
22. गुमान सिंह पुत्र रघुवीरसिंह
23. लक्ष्मीकंवर पुत्री हनुमानसिंह
24. सजनाकंवर पत्नी स्व0 जयसिंह
25. सुप्यारकंवर पुत्री जयसिंह
26. सुरेशसिंह दतक पुत्र रामचन्द्रसिंह
27. केशरसिंह पुत्र बनेसिंह
28. तेजपालसिंह पुत्र भीमसिंह
29. दुर्जनसिंह पुत्र पाबूदानसिंह
30. पृथ्वीसिंह पुत्र हरिसिंह
31. पूरणकंवर पत्नी श्रवणसिंह
32. प्रेमकंवर पुत्र देवीसिंह
33. बाबूसिंह पुत्र भीमसिंह
34. मगनकंवर पुत्री देवीसिंह
35. ममताकंवर पुत्री श्रवणसिंह
36. रूकमणकंवर पुत्री श्रवणसिंह
37. रूडसिंह पुत्र बनेसिंह
38. विमलेशकंवर पुत्री जगमालसिंह
39. सुनीताकंवर पत्नी रघुवीरसिंह
40. सायरसिंह पुत्र श्रवणसिंह
41. हंसराजसिंह पुत्र श्रवणसिंह
42. गुलकंवर पत्नी स्व0 श्री भूरसिंह

समस्त वयस्क, समस्त जाति राजपूत, समस्त निवासी बासडी गणेशपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)



उप खण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

43. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
44. राजस्थान सरकार (भू-धारक)जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
45. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज
46. प्रबन्धक सिंडीकेट बैंक, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज
47. प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज
48. प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा बैंक, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज
49. प्रबन्धक मरुधरा ग्रामीण बैंक, शाखा भाबरू जिला जयपुर राज
50. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज



प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट 1955

निर्णय दिनांक 14/12/23

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी ख0न0 134 रकबा 0.90 है0, 135 रकबा 0.64 है0 कुल किता 2 रकबा 1.54 है0, आराजी ख0न0 166 रकबा 1.50 है0, कुल किता 1 रकबा 1.50 है0 व आराजी ख0न0 124 रकबा 0.76 है0, आराजी ख0न0 125 रकबा 0.64 है0 कुल किता 2 रकबा 1.40 है0, भूमि वाकै ग्राम बासडी गणेशपुरा, पटवार हल्का गोविन्दपुरा धाबाई, भू.अ.नि. रामपुरा, तह0 शाहपुरा जयपुर में स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार है। नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 संलग्न वाद पत्र है।
2. यह कि वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी को वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार मनबट बंटवारा के आधार पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा आज भी मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त है।
3. यह कि वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है किन्तु अब प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 42 के मन में दुर्भावना आ गयी है और उन्होने वादीया के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है तथा वे वादीया को उनके कब्जे व काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने लग गये है एवं आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा कराये ही वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी के विशिष्ट भू-भाग में निर्माण कार्य करने पर आमादा है तथा आराजी मुतनाजा को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है।
4. यह कि आज से सप्ताह भर पूर्व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 42 आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू-भाग पर जबरन निर्माण कार्य करने हेतु अपने साथ निर्माण सामग्री लेकर आये तथा निर्माण कार्य करने लगे तो वादीगण ने उन्हे ऐसा करने से मना किया और वादीया ने प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 42 को वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कराने को कहा तो उन्होने आराजी का मनबट बंटवारा कराने से मना कर दिया तथा प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 42 ने वादीया को एलानिया धमकी दी है कि वे वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी के विशिष्ट भू-भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य करके रहेंगे तथा आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू-भाग का बेचान किसी अजनबी व्यक्ति को कर उसके पक्ष में आराजी के विशिष्ट भू-भाग का अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर वादीया को उसके हक हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करेगे तथा पुख्ता निर्माण कार्य करके रहेंगे तथा आराजी के विशिष्ट भू-भाग पर अजनबी व्यक्ति का कब्जा करवाकर रहेंगे।
5. यह कि प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 42 अपने अवैध मन्सूबे में सफल हो गये और उन्होने वाद पत्र के जिमन नं0 1 वर्णित आराजी का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा पर पुख्ता निर्माण कर लिया या आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू-भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर जबरन अजनबी व्यक्ति का आराजी के विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा करवा देगे तो इससे वादीया के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा जिससे वादीया को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारो में अनावश्यक रूप में मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण वादीया को प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त वाद आराजी के बंटवारे का एवं स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।
6. यह कि बिनाय दावा वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित प्रकार से आराजी मुतनाजा वादीया एवं प्रतिवादीगण सहखातेदारी भूमि होने एवं प्रतिवादीगण द्वारा बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू-भाग पर निर्माण कार्य करने पर आमादा होने तथा

उप खण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वादीया को उसकी भूमि से जरन बेदखल करने की धमकी दिये जाने से पैदा होकर दावा अनदर मियादी पेश है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी ख0न0 134 रकबा 0.90 है0, 135 रकबा 0.64 है0 कुल किता 2 रकबा 1.54 है0, आराजी ख0न0 166 रकबा 1.50 है0, कुल किता 1 रकबा 1.50 है0 व आराजी ख0न0 124 रकबा 0.76 है0, आराजी ख0न0 125 रकबा 0.64 है0 कुल किता 2 रकबा 1.40 है0, भूमि वाकै ग्राम बासडी गणेशपुरा, पटवार हल्का गोविन्दपुरा धाबाई, भू.अ.नि. रामपुरा, तह0 शाहपुरा जयपुर में स्थित भूमि का वादीया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 42 के मध्य सरस नरस व राजस्व नियमावली के मुताबिक खातेदार काश्तकारों द्वारा पूर्व में किये गये मनबट बंटवारे के आधार व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर व खातेदारों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा वादीया को उसके बंटवारे में आयी भूमि का अलग से कब्जा करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 42 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीया के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा नहीं करे आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू-भाग पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गये। कुछ प्रतिवादीगण दिनांक 22.6.2023 को मंहगाई राहत कैम्प बिदारा में उपस्थित होकर जवाब पेश करने का अवसर चाहा। प्रतिवादीगणों के द्वारा प्रकरण में न तो उपस्थित आये तथा न ही जवाब दावा पेश किया गया। प्रति0स0-01 लगायत 50 बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 7.7.2023 को विधिवत एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादी ने दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया वाद पत्र बंटवारा का होने से प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/2199 दिनांक 11.07.2023 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किये गये। वकील वादी ने उपस्थित होकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार दावा अंतिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण में सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी ख0न0 134 रकबा 0.90 है0, 135 रकबा 0.64 है0 कुल किता 2 रकबा 1.54 है0, आराजी ख0न0 166 रकबा 1.50 है0, कुल किता 1 रकबा 1.50 है0 व आराजी ख0न0 124 रकबा 0.76 है0, आराजी ख0न0 125 रकबा 0.64 है0 कुल किता 2 रकबा 1.40 है0, भूमि वाकै ग्राम बासडी गणेशपुरा, पटवार हल्का गोविन्दपुरा धाबाई, भू.अ.नि. रामपुरा, तह0 शाहपुरा जयपुर खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. सरोज देवी पत्नी राजेन्द्र गुर्जर हि0 पूर्ण जाति गुर्जर निवासी छापुडाकलां तह0 शाहपुरा जयपुर खातेदार के आराजी ख0न0 124/1 रकबा 0.6832 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।
2. अमरसिंह पुत्र जयसिंह हि0 1/43 राहिन पंजाब नेशनल बैंक, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर, केसरसिंह पुत्र बनेसिंह हि0 3/43 राहिन सिंडीकेंट बैंक, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर, तेजपाल सिंह, बाबूसिंह पि0 भीमसिंह हि0 3/43 राहिन बैंक ऑफ बडौदा, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर, दुर्जनसिंह पुत्र पाबुदान सिंह हि0 21/86, पृथ्वीसिंह पुत्र हरिसिंह हि0 3/43 राहिन आरएमजीबी शाखा भाबरू, पूरणकंवर पत्नी श्रवण सिंह, ममताकंवर, रूकमणकंवर पुत्रीयान श्रवण सिंह, सायरसिंह, हंसराजसिंह पि0 श्रवणसिंह हि0 3/43, प्रेमकंवर, मगनकंवर पुत्रीयान देवीसिंह हि0 21/86, रूडसिंह पुत्र बनेसिंह हि0 3/43, विमलेशकंवर पुत्री जगमालसिंह हि0 3/43, सुनीताकंवर पत्नी रघुवीरसिंह हि0 3/43 समस्त जाति राजपूत सा0देह खातेदार के आराजी ख0न0 124/2 रकबा 0.0768, 125 रकबा 0.64 कुल किता 2 रकबा 0.7168 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।
3. सरोज देवी पत्नी राजेन्द्र गुर्जर हि0 पूर्ण जाति गुर्जर निवासी छापुडाकलां तह0 शाहपुरा जयपुर खातेदार के आराजी ख0न0 134/1 रकबा 0.17, 135/1 रकबा 0.1508 कुल किता 2 रकबा 0.3208 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।
4. अमरसिंह पुत्र जयसिंह हि0 2/133 राहिन पंजाब नेशनल बैंक, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर, ओमीसिंह, ओपेन्द्रसिंह पि0 मुन्शीसिंह, नीमाकंवर, सुरेशकंवर पुत्रीयान मुन्शीसिंह, श्रेयकंवर पत्नी मुन्शीसिंह हि0 3/190 गुलकंवर पत्नी भूरसिंह हि0 6/19, छगनसिंह पुत्र हरनाथसिंह हि0 1/38, जसवंतसिंह पुत्र भंवरसिंह हि0 2/19 राहिन आईसीआईसीआई बैंक, शाखा शाहपुरा (जयपुर) धनसिंह पुत्र उमरावसिंह हि0 1/38, धर्मपाल सिंह रघुवीरसिंह

उप खांड अधिकारी  
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

रामसिंह पि० जयसिंह हि० 6/133 राहिन आरएमजीबी शाखा भाबरू, बजरंगसिंह पुत्र जयसिंह हि० 2/133 राहिन एसबीआई बैंक, शाखा शाहपुरा, मदनकंवर पुत्री सुल्तान सिंह हि० 3/190, मदनसिंह पुत्र गोकुलसिंह हि० 1/38, मुंशीसिंह पुत्र उमराव सिंह हि० 1/38, मानसिंह पुत्र उमराव सिंह हिस्सा 32/95, सजनाकंवर पत्नी जयसिंह हिस्सा 2/133, सुभांगकंवर पत्नी हनुमानसिंह हि० 1/266 राहिन बैंक ऑफ बडौदा, शाखा शाहपुरा, सम्पतसिंह पुत्र हनुमानसिंह हिस्सा 3/266 राहिन बैंक ऑफ बडौदा, शाखा शाहपुरा समस्त जाति राजपूत सा०देह खातेदार के आराजी ख०न० 134/2 रकबा 0.73, 135/2 रकबा 0.4892 कुल किता 2 रकबा 1.2192 है० भूमि के हिस्से में रहेगी।

i. सरोज देवी पत्नी राजेन्द्र गुर्जर हि० पूर्ण जाति गुर्जर निवासी छापुडाकलां तह० शाहपुरा जयपुर खातेदार के आराजी ख०न० 166/1 रकबा 0.2834, 166/3 रकबा 0.25 कुल किता 2 रकबा 0.5334 है० भूमि के हिस्से में रहेगी।

ii. सुरेश सिंह दत्तक पुत्र रामचन्द्रसिंह हि० पूर्ण जाति राजपूत सा० देह खातेदार के आराजी ख०न० 166/2 रकबा 0.25 है० भूमि के हिस्से में रहेगी।

iii. कांताकंवर, लक्ष्मीकंवर पुत्रीयान हनुमानसिंह हिस्सा 78/3583, गुमानसिंह पुत्र रघुवीरसिंह हिस्सा 156/3583 राहिन आरएमजीबी भाबरू, जसवंतसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 1836/3583 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाहपुरा, धर्मपालसिंह बजरंगसिंह, रामसिंह पि०

जयसिंह, सजनाकंवर पत्नी जयसिंह हिस्सा 956/3583, रघुवीरसिंह पुत्र जयसिंह हिस्सा 239/3583 राहिन आरएमजीबी भाबरू, सुप्यारकंवर पुत्री जयसिंह हि० 156/3583,

सुभांगकंवर पत्नी हनुमानसिंह हि० 119/7166, सम्पतसिंह पुत्र हनुमानसिंह हि० 205/7166 समस्त जाति राजपूत सा०देह खातेदार के आराजी ख०न० 166/4 रकबा 0.7166 है० भूमि के हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीगण / प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14/12/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मनमोहन मीना) कारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
शाहपुरा जिला जयपुर

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

ठासीन अधिकारी

:- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

द संख्या

:- 26/2023

शीर्षक

1. सरोज देवी पत्नी राजेन्द्र गुर्जर, जाति गुर्जर निवासी छापुडाकलां तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)

वादीया

बनाम



1. अमरसिंह पुत्र जयसिंह
2. ओपेन्द्र सिंह पुत्र मुंशी सिंह
3. ओमी सिंह पुत्र मुंशी सिंह
4. छगनसिंह पुत्र हरनाथसिंह
5. जसवन्तसिंह पुत्र भंवरसिंह
6. धनसिंह पुत्र जयसिंह
7. धर्मपालसिंह पुत्र जयसिंह
8. नीमा कंवर पुत्री मुंशी सिंह
9. जबरंगसिंह पुत्र जयसिंह
10. मदन कंवर पुत्री सुल्तानसिंह
11. मदनसिंह पुत्र गोकूलसिंह
12. मुंशीसिंह पुत्र उमरावसिंह
13. मानसिंह पुत्र उमरावसिंह
14. रघुवीरसिंह पुत्र जयसिंह
15. रामसिंह पुत्र जयसिंह
16. श्रेय कंवर पत्नी मुंशी सिंह
17. मजना पत्नी जयसिंह
18. सुभांगकंवर पत्नी स्व. हनुमानसिंह
19. सम्पतसिंह पुत्र हनुमानसिंह
20. सुरेश कंवर पुत्री मुंशी सिंह
21. कान्ताकंवर पुत्री हनुमानसिंह
22. गुमान सिंह पुत्र रघुवीरसिंह
23. लक्ष्मीकंवर पुत्री हनुमानसिंह
24. सजनाकंवर पत्नी स्व0 जयसिंह
25. सुप्यारकंवर पुत्री जयसिंह
26. सुरेशसिंह दतक पुत्र रामचन्द्रसिंह
27. केशरसिंह पुत्र बनेसिंह
28. तेजपालसिंह पुत्र भीमसिंह
29. दुर्जनसिंह पुत्र पाबूदानसिंह
30. पृथ्वीसिंह पुत्र हरिसिंह
31. पूरणकंवर पत्नी श्रवणसिंह
32. प्रेमकंवर पुत्र देवीसिंह
33. बाबूसिंह पुत्र भीमसिंह
34. मगनकंवर पुत्री देवीसिंह
35. ममताकंवर पुत्री श्रवणसिंह
36. रूकमणकंवर पुत्री श्रवणसिंह
37. रूडसिंह पुत्र बनेसिंह
38. विमलेशकंवर पुत्री जगमालसिंह
39. सुनीताकंवर पत्नी रघुवीरसिंह
40. सायरसिंह पुत्र श्रवणसिंह
41. हंसराजसिंह पुत्र श्रवणसिंह
42. गुलकंवर पत्नी स्व0 श्री भूरसिंह

समस्त वयस्क, समस्त जाति राजपूत, समस्त निवासी बासडी गणेशपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)

उप खण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

43. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
44. राजस्थान सरकार (भू-धारक)जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
45. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज
46. प्रबन्धक सिंडीकेट बैंक, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज
47. प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज
48. प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा बैंक, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज
49. प्रबन्धक मरुधरा ग्रामीण बैंक, शाखा भाबरू जिला जयपुर राज
50. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट 1955

निर्णय दिनांक 19/7/23

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी ख0न0 134 रकबा 0.90 है0, 135 रकबा 0.64 है0 कुल किता 2 रकबा 1.54 है0, आराजी ख0न0 166 रकबा 1.50 है0, कुल किता 1 रकबा 1.50 है0 व आराजी ख0न0 124 रकबा 0.76 है0, आराजी ख0न0 125 रकबा 0.64 है0 कुल किता 2 रकबा 1.40 है0, भूमि वाकै ग्राम बासडी गणेशपुरा, पटवार हल्का गोविन्दपुरा धाबाई, भू.अ.नि. रामपुरा, तह0 शाहपुरा जयपुर खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. सरोज देवी पत्नी राजेन्द्र गुर्जर हि0 पूर्ण जाति गुर्जर निवासी छापुडाकलां तह0 शाहपुरा जयपुर खातेदार के आराजी ख0न0 124/1 रकबा 0.6832 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।
2. अमरसिंह पुत्र जयसिंह हि0 1/43 राहिन पंजाब नेशनल बैंक, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर, केसरसिंह पुत्र बनेसिंह हि0 3/43 राहिन सिंडीकेट बैंक, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर, तेजपाल सिंह, बाबूसिंह पि0 भीमसिंह हि0 3/43 राहिन बैंक ऑफ बडौदा, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर, दुर्जनसिंह पुत्र पाबुदान सिंह हि0 21/86, पृथ्वीसिंह पुत्र हरिसिंह हि0 3/43 राहिन आरएमजीबी शाखा भाबरू, पूरणकंवर पत्नी श्रवण सिंह, ममताकंवर, रूकमणकंवर पुत्रीयान श्रवण सिंह, सायरसिंह, हंसराजसिंह पि0 श्रवणसिंह हि0 3/43, प्रेमकंवर, मगनकंवर पुत्रीयान देवीसिंह हि0 21/86, रूडसिंह पुत्र बनेसिंह हि0 3/43, विमलेशकंवर पुत्री जगमालसिंह हि0 3/43, सुनीताकंवर पत्नी रघुवीरसिंह हि0 3/43 समस्त जाति राजपूत सा0देह खातेदार के आराजी ख0न0 124/2 रकबा 0.0768, 125 रकबा 0.64 कुल किता 2 रकबा 0.7168 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।
3. सरोज देवी पत्नी राजेन्द्र गुर्जर हि0 पूर्ण जाति गुर्जर निवासी छापुडाकलां तह0 शाहपुरा जयपुर खातेदार के आराजी ख0न0 134/1 रकबा 0.17, 135/1 रकबा 0.1508 कुल किता 2 रकबा 0.3208 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।
4. अमरसिंह पुत्र जयसिंह हि0 2/133 राहिन पंजाब नेशनल बैंक, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर, ओमीसिंह, ओपेन्द्रसिंह पि0 मुन्शीसिंह, नीमाकंवर, सुरेशकंवर पुत्रीयान मुन्शीसिंह, श्रेयकंवर पत्नी मुंशीसिंह हि0 3/190 गुलकंवर पत्नी भूरसिंह हि0 6/19, छगनसिंह पुत्र हरनाथसिंह हि0 1/38, जसवंतसिंह पुत्र भंवरसिंह हि0 2/19 राहिन आईसीआईसीआई बैंक, शाखा शाहपुरा जिला जयपुर, धनसिंह पुत्र उमरावसिंह हि0 1/38, धर्मपाल सिंह रघुवीरसिंह रामसिंह पि0 जयसिंह हि0 6/133 राहिन आरएमजीबी शाखा भाबरू, बजरंगसिंह पुत्र जयसिंह हि0 2/133 राहिन एसबीआई बैंक, शाखा शाहपुरा, मदनकंवर पुत्री सुल्तान सिंह हि0 3/190, मदनसिंह पुत्र गोकुलसिंह हि0 1/38, मुंशीसिंह पुत्र उमराव सिंह हि0 1/38, मानसिंह पुत्र उमराव सिंह हिस्सा 32/95, सजनाकंवर पत्नी जयसिंह हिस्सा 2/133, सुभांगकंवर पत्नी हनुमानसिंह हि0 1/266 राहिन बैंक ऑफ बडौदा, शाखा शाहपुरा, सम्पतसिंह पुत्र हनुमानसिंह हिस्सा 3/266 राहिन बैंक ऑफ बडौदा, शाखा शाहपुरा समस्त जाति राजपूत सा0देह खातेदार के आराजी ख0न0 134/2 रकबा 0.73, 135/2 रकबा 0.4892 कुल किता 2 रकबा 1.2192 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।
5. सरोज देवी पत्नी राजेन्द्र गुर्जर हि0 पूर्ण जाति गुर्जर निवासी छापुडाकलां तह0 शाहपुरा जयपुर खातेदार के आराजी ख0न0 166/1 रकबा 0.2834, 166/3 रकबा 0.25 कुल किता 2 रकबा 0.5334 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।
6. सुरेश सिंह दत्तक पुत्र रामचन्द्रसिंह हि0 पूर्ण जाति राजपूत सा0 देह खातेदार के आराजी ख0न0 166/2 रकबा 0.25 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

उप खण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

7. कांताकंवर, लक्ष्मीकंवर पुत्रीयान हनुमानसिंह हिस्सा 78/3583, गुमानसिंह पुत्र रघुवीरसिंह हिस्सा 156/3583 राहिन आरएमजीबी भाबरू, जसवंतसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 1836/3583 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाहपुरा, धर्मपालसिंह बजरंगसिंह, रामसिंह पि० जयसिंह, सजनाकंवर पत्नी जयसिंह हिस्सा 956/3583, रघुवीरसिंह पुत्र जयसिंह हिस्सा 239/3583 राहिन आरएमजीबी भाबरू, सुप्यारकंवर पुत्री जयसिंह हि० 156/3583, सुभागकंवर पत्नी हनुमानसिंह हि० 119/7166, सम्पतसिंह पुत्र हनुमानसिंह हि० 205/7166 समस्त जाति राजपूत सा०देह खातेदार के आराजी ख०न० 166/4 रकबा 0.7166 है० भूमि के हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रंजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। दीगण / प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भे में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। जानुसर राजस्व रिकार्ड में अमूल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें।

निर्णय आज तारीख 14/11/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की ई।

(मनमोहन मीना)  
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
शाहपुरा जिला जयपुर

द के खर्चे

श्री	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शों के लिए स्टाम्प रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
		जोड	

